आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–81/2025- 4976 /पटना, दिनांक–05/09/2025

प्रेषक,

अभय झा, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– **योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के लखीसराय जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन सूर्यगढ़ा प्रखंड के "वंशीपुर पंचायत के बजरंगवली घाट (चाई टोला) रोड पर किउल नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य" योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के लखीसराय जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन सूर्यगढ़ा प्रखंड के "वंशीपुर पंचायत के बजरंगवली घाट (चाई टोला) रोड पर किउल नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य" योजना जिसकी कुल लम्बाई 304.39 मी० के निर्माण की राशि ₹ 3548.600 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार रुपया) मात्र है– हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।

4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस योजना के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।

6. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

7. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता–3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

9. समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति के दिनांक 01.09.2025 की बैठक में ज्ञापांक 949/लो०वि०/यो०वि०, पटना दिनांक 01.09.2025 द्वारा इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है।

10. उक्त योजना लोक वित्त समिति के अनुशंसोपरांत मंत्रिपरिषद् की दिनांक 02.09.2025 के आहुत बैठक में मद संख्या–45 के रूप में स्वीकृत है।

11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–81/2025 के पृष्ठ संख्या– 30 /टि० पर दिनांक - 4.9.2025 को प्राप्त है।

12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

13. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से

किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

19. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

06/09/25

(अभय झा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–81/2025-4976 /पटना, दिनांक–08/9/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–81/2025-4976 /पटना, दिनांक–08/9/2025

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–81/2025-4976 /पटना, दिनांक–08/9/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग /मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराया/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/25

संयुक्त सचिव